

Youth Competition Times

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

क्रमांक 47 सन् 2023–No. 47 of 2023

MCQ's + PYQ's वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश

द्विभाषी संस्करण/Diglot Edition

प्रधान सम्पादक

Anand K. Mahajan

लेखन सहयोग

अधिवक्ता अभिषेक सिंह,

मनीष सिंह (LLM/NET), अभिनव मिश्रा

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण, पंकज कुशवाहा

संपादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002



9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com/www.yctbooksprime.com

© All Rights Reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने आर.ए. सिक्वोरिटी प्रिंटर्स, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर,

वाई.सी.टी. पब्लिकेशन प्रा.लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है

फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव और सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य : 195/-

INDEX

भाग 1—PART I

- अध्याय -1
प्रारंभिक/PRELIMINARY3-14

भाग II—PART II

- अध्याय -2
तथ्यों की सुसंगति/Relevancy of Facts 15-50

भाग III—PART III

सबूत के विषय/On Proof

- अध्याय -3
तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है/Facts Which need not be Proved51-53
- अध्याय -4
मौखिक साक्ष्य के विषय में/Of Oral Evidence54-55
- अध्याय -5
दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में/Of Documentary Evidence55-71
- अध्याय -6
दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में/Of The Exclusion of Oral Evidence By
Documentary Evidence.....72-76

भाग 4—PART IV

साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव Production & Effect of Evidence

- अध्याय -7
सबूत के भार के विषय में/Of the Burden of Proof 77-88
- अध्याय -8
विबंध/Estoppel89-91
- अध्याय -9
साक्षियों के विषय में/Of Witness91-101
- अध्याय -10
साक्षियों की परीक्षा के विषय में/Of Examination of Witnesses 102-117
- अध्याय -11
साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में/Of Improper Admission & Rejection of Evidence.....118-118
- अध्याय -12
निरसन और व्यावृत्ति/Repeal & Savings 118-118
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की तुलनात्मक सारणी 119-128



The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

क्रमांक 47 सन् 2023–No. 47 of 2023



भाग 1—PART I

अध्याय

1.

प्रारंभिक/

PRELIMINARY

धारा - 1

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ/Short title, application and commencement.

1. The law of evidence under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is—
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत साक्ष्य विधि है-

- (a) Substantive Law/मौलिक विधि
- (b) Procedural Law/प्रक्रिया विधि
- (c) Substantive and Procedural Law
मौलिक एवं प्रक्रिया विधि
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : साक्ष्य विधि एक प्रक्रियात्मक विधि है। अधिकारों के उपचार हेतु अपनायी जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण करने वाली विधि को 'प्रक्रियात्मक विधि' कहा जाता है। कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के अंश भी हैं, जैसे- विबन्ध का सिद्धान्त।

2. The Law of Evidence consists of which one of the following?

साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं?

- (a) Ordinary rules of prudence
विवेक के साधारण नियम
- (b) Legal rules of evidence
साक्ष्य के विधिक नियम
- (c) Rules of logic/तर्क के नियम
- (d) All the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 साक्ष्य के विधिक नियम का उल्लेख करती है। अधिनियम की धारा 1-170 तक में साक्ष्य के विधिक नियमों का उल्लेख किया गया है। साक्ष्य विधि मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है। लेकिन कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के अंश भी हैं, जैसे-विबन्ध का सिद्धान्त।

3. Law of evidence is/साक्ष्य का कानून

- (a) a substantive law/मौलिक कानून है
- (b) an adjective law/विशेषता दर्शाने वाला कानून है
- (c) Both (A) and (B)/(A) और (B) दोनों
- (d) Neither (A) nor (B)/न तो (A) और न ही (B)

Ans. (b) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रक्रिया विधि है इसके अंतर्गत प्रक्रियात्मक विधि के नियम शामिल हैं। साक्ष्य विधि को विशेषण विधि अथवा विशेषता दर्शाने वाली विधि भी कहा जाता है।

4. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 applies to-

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होता है-

- (a) Only civil proceedings
केवल सिविल कार्यवाहियों में
- (b) Only criminal proceedings
केवल आपराधिक कार्यवाहियों में
- (c) Civil and criminal Proceeding both
सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों में
- (d) None of the above /उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं

Ans. (c) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों पर लागू होता है। यह अधिनियम सभी प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(k) में न्यायिक कार्यवाही को परिभाषित किया गया है

5. **Law of Evidence: साक्ष्य की विधि:**

- (a) Retrospective/
भूतलक्षी प्रभाव रखती है
- (b) Effect the fundamental right of person
व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है
- (c) Always have prospective effect
सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है
- (d) Not a procedural law/
प्रक्रियात्मक विधि नहीं है

Ans. (a) : साक्ष्य विधि प्रक्रिया सम्बन्धी विधि है और प्रक्रिया संबंधी विधि का भूतलक्षी प्रभाव होता है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 एक प्रक्रियात्मक विधि है, और यह भूतलक्षी प्रभाव रखती है।

6. **Point out the correct answer.**

Law of Evidence is

सही उत्तर इंगित कीजिए।

साक्ष्य विधि

- (a) Lex Talionis/लैक्स टैलियोनिस है।
- (b) Lex Fori/लैक्स फोरी है।
- (c) Lex Loci/लैक्स लोसी है।
- (d) Lex Situs/लैक्स साइटस है।

Ans. (b) : लैक्स फोरी एक लैटिन वाक्यांश है, जिसका अर्थ है “फोरम की विधि या कानून”। यह उस क्षेत्राधिकार के कानूनों को संदर्भित करता है, जहां कानूनी मामले की सुनवाई हो रही है। न्यायालय उस क्षेत्राधिकार के कानून को लागू करता है, जहां मामले की सुनवाई हो रही है, चाहे पक्षकारों की उत्पत्ति या कार्यवाही का कारण कुछ भी हो।

7. **The meaning of 'Lex Loci' is:**
‘लेक्स लोसी’ का अर्थ है

- (a) Law of the Land is Supreme
देश की विधि सर्वोच्च है
- (b) Law of Land/देश की विधि
- (c) Local Laws/स्थानीय विधि
- (d) Law of England/इंग्लैण्ड की विधि

Ans. (b) : ‘लेक्स लोसी’ का अर्थ देश की विधि या राष्ट्र की विधि है। लेक्स लोसी इस धारणा को लाता है कि विधिक कार्यवाही के लिए पक्षकारों के अधिकार उस स्थान के कानून द्वारा शासित होते हैं जहां उन अधिकारों की उत्पत्ति हुई है।

8. **The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is ?**
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है?

- (a) Act No. 45 of 2023/2023 का अधिनियम सं० 45
- (b) Act No. 46 of 2023/2023 का अधिनियम सं० 46
- (c) Act No. 47 of 2023/2023 का अधिनियम सं० 47
- (d) Act No. 48 of 2023/2023 का अधिनियम सं० 48

Ans. (c) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, वर्ष 2023 का अधिनियम संख्या 47 है।

9. **The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 has been divided into Parts and Chapters.**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को भागों एवं अध्यायों में विभाजित किया गया है।

- (a) 2, 10
- (b) 4, 12
- (c) 4, 10
- (d) 3, 12

Ans. (b) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को 4 भागों एवं 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं-

भाग-1- प्रारंभिक (धारा 1 और 2)

भाग 2- तथ्यों की सुसंगति (धारा 3-50)

भाग 3- सबूत के विषय (धारा 51-103)

भाग 4- साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव (धारा 104-170)

10. **How many Sections and Chapters are there in Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023?/भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएँ हैं?**

- (a) 164 Sections and 10 Chapters
164 धाराएँ एवं 10 अध्याय
- (b) 167 Sections and 10 Chapters
167 धाराएँ एवं 10 अध्याय
- (c) 170 Sections and 12 Chapters
170 धाराएँ एवं 12 अध्याय
- (d) 167 Sections and 9 Chapters
167 धाराएँ एवं 9 अध्याय

Ans. (c) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 4 भागों, 12 अध्यायों एवं 170 धाराओं में विभक्त किया गया है।

11. **How many Sections are provisioned in the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023?**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में कितनी धाराएँ प्रावधानित हैं?

- (a) 168
- (b) 169
- (c) 170
- (d) 172

CG PCS (J) 2025

Ans. (c) : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

12. **As per preamble of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, the purpose of this Act is**
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन है-

- (a) to provide, define and amend the law of evidence/साक्ष्य विधि का उपबंध परिभाषित एवं संशोधित करना
- (b) to provide, consolidate the law of evidence
साक्ष्य विधि का उपबंध व समेकन करना
- (c) to define and amend the law of evidence
साक्ष्य विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना

- (d) to consolidate and to provide for general rules and principle of evidence for fair trial/निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित तथा उनका उपबंध करना

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की उद्देशिका के अनुसार, इस अधिनियम का प्रयोजन है - निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित तथा उनका उपबंध करना।

13. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 was enacted/भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 अधिनियमित हुआ -

- (a) 6th October, 2023/6 अक्टूबर, 2023 को
(b) 1st March, 2024/1 मार्च, 2024 को
(c) 25th December, 2023/25 दिसंबर, 2023 को
(d) 1st September, 2023/1 सितम्बर, 2023 को

Ans. (c) : 25 दिसंबर, 2023 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, अधिनियमित (enacted) हुआ तथा 1 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त (come into force) हुआ।

14. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 was enforced/भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रवर्तन हुआ-

- (a) 1 Sep. 2024/1 सितम्बर 2024
(b) 1 Oct. 2023/1 अक्टूबर 2023
(c) 1 July 2024/1 जुलाई 2024
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans : (c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रवर्तन 1 जुलाई 2024 को हुआ था।

15. Which section of BSA provides that this Act may be called the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023.

बी.एस.ए की किस धारा में उपबंध है कि यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहलायेगा?

- (a) Sec.2(a)/धारा 2(a)
(b) Sec.2(a)/धारा 2(b)
(c) Sec.1(1)/धारा 1(1)
(d) Sec.1(2)/धारा 1(2)

Ans. (c) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1(1) में उपबंध किया गया है कि यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहलायेगा।

16. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 applies to- भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है-

- (a) proceedings before tribunals
अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को
(b) affidavits presented to any court or officer
किसी न्यायालय या अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों को
(c) proceedings before an arbitrator
मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों को
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 1(2) के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है, इसमें सेना न्यायालय भी शामिल है, परन्तु-

1. किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों पर, तथा
2. माध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर, लागू नहीं होता है।

धारा - 2 परिभाषाएँ /Definitions

17. Which section of the BSA related to definition clause?

बी.एस.ए की कौन सी धारा परिभाषा खण्ड से संबंधित है?

- (a) Sec. 2/धारा 2
(b) Sec. 3/धारा 3
(c) Sec. 4/धारा 4
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 परिभाषा खण्ड से संबंधित हैं।

18. In the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 the expression "Court" means-/भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रयुक्त 'न्यायालय' शब्द से तात्पर्य है-

- (a) All Judges/सभी न्यायाधीश
(b) All Magistrates/सभी मजिस्ट्रेट
(c) All persons except Arbitrators, legally authorised to take evidence/मध्यस्थों के अतिरिक्त वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने हेतु वैध रूप से प्राधिकृत हैं
(d) All the above/उपरोक्त सभी

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(a) में 'न्यायालय' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार, न्यायालय शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

- (1) सभी न्यायाधीश,
- (2) सभी मजिस्ट्रेट,
- (3) मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति।

19. Under Section 2(a) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, which of the following is not included in the definition of the 'court'?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(क) के अन्तर्गत निम्न में से कौन 'न्यायालय' की परिभाषा में शामिल नहीं है?

- (a) All Judges/सभी न्यायाधीश
- (b) All Magistrates/सभी मजिस्ट्रेट
- (c) District Consumer Disputes Redressal Commission/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
- (d) Persons legally authorized to take evidence/साक्ष्य देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति

CG PCS (J) 2025

Ans. (c) : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

20. Which of the following statement is not correct in relation to words and expressions used in Section 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 में प्रयुक्त शब्दों व पदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- (a) 'Fact' includes not only state of things but also mental condition/'तथ्य' में न केवल वस्तुओं की अवस्था अपितु मानसिक दशा भी सम्मिलित है
- (b) 'Court' includes arbitrators 'न्यायालय' के अन्तर्गत मध्यस्थ सम्मिलित है
- (c) An inscription on a stone is a document शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है
- (d) A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और नासाबित।

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(a) के अनुसार, न्यायालय के अंतर्गत मध्यस्थ सम्मिलित नहीं है।

21. Which one of the following is not judicial proceeding?

निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है?

- (a) Hearing by a judge/न्यायाधीश द्वारा सुनवाई
- (b) Hearing by a person who is authorized to take evidence/साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सुनवाई
- (c) Hearing before an arbitrator मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई
- (d) Hearing by magistrate/मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई

Ans. (c): मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सहमति से किया गया विवाद समाधान का तरीका है।

22. Which one of the following terms has not been defined by the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 under Section 2?

निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित नहीं है?

- (a) Court/न्यायालय
- (b) Document/दस्तावेज
- (c) Evidence/साक्ष्य
- (d) Confession/संस्वीकृति

Ans. (d) : संस्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 में परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि "न्यायालय" धारा 2(1)(a), "दस्तावेज" धारा 2(1)(d) तथा "साक्ष्य" धारा 2(1)(e) में परिभाषित किया गया है।

23. The provision relating to conclusive proof is given under section- निश्चयात्मक प्रमाण से सम्बन्धित प्रावधान दिया गया है—

- (a) Section 2(1)(a)/धारा 2(1)(a)
- (b) Section 2(1)(b)/धारा 2(1)(b)
- (c) Section 2(1)(c)/धारा 2(1)(c)
- (d) Section 2(1)(d)/धारा 2(1)(d)

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(b) में "निश्चयक सबूत" से संबंधित प्रावधान है।

24. Fact disproved means that

तथ्य नासाबित का अर्थ है:

- (a) Fact as not proved/कि तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है
- (b) Fact has proved/कि तथ्य सिद्ध हुआ है
- (c) Existence of a fact is highly probable कि किसी तथ्य का अस्तित्व अधिक अधिसम्भाव्य है
- (d) The court believes that fact does not exist कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है

Ans : (d) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(c) के अनुसार, कोई तथ्य "नासाबित" हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।

25. Which Section of BSA 2023 defined document?
बी.एस.ए. 2023 की किस धारा में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है?

- (a) Section 2(1)(b)/धारा 2(1)(b)
- (b) Section 2(1)(c)/ धारा 2(1)(c)
- (c) Section 2(1)(d)/ धारा 2(1)(d)
- (d) Section 2(1)(e)/ धारा 2(1)(e)

Ans : (c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(d) में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है।

26. Which of the following is not a "document" as per provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा एक "दस्तावेज" नहीं है?

- (a) a map/एक मानचित्र
- (b) words lithographed/शिलामुद्रित शब्द
- (c) inscription on a stone/शिला पर उत्कीर्ण लेख
- (d) a piece of metal with inscription that was used to cause fatal injury/उत्कीर्ण लेखयुक्त धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(d) में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार, "दस्तावेज" से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किये जाने को आशयित हो या जिसका उपयोग किया जा सके और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं।

27. As per section 2(1)(d) of BSA 2023 document includes—

बी0एस0ए0 2023 की धारा 2(1)(d) के अनुसार, दस्तावेज में सम्मिलित है—

- (a) Electronic record/इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख
- (b) Digital record/ डिजिटल अभिलेख
- (c) Electronic and digital record/ इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख
- (d) None of the above/ इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख

Ans : (d) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(d) में परिभाषित दस्तावेज के अन्तर्गत इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं।

28. 'Document' produced for the inspection of the court includes—

न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत 'दस्तावेजों' में शामिल है—

- 1. A written document/एक लिखित दस्तावेज
- 2. A caricature/एक उपहासांकन
- 3. An electronic record/एक इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज
- 4. An inscription on stone/शिला पर उत्कीर्ण लेख

Select the correct answer using the codes given below

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये—

Codes/कूट :

- (a) 1 and 4/1 और 4
- (b) 1, 2 and 4/1, 2 और 4
- (c) 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4
- (d) 1, 2 and 3/1, 2 और 3

Ans: (c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(d) में परिभाषित दस्तावेज शब्द में लेख, उपहासांकन (कैरीकेचर), इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज तथा शिला (पत्थर) पर उत्कीर्ण लेख सम्मिलित हैं।

29. The documents are:/दस्तावेज है :

- (a) caricature/उपहासांकन (व्यंग्य चित्र)
- (b) words printed, lithographed or photographed मुद्रित, शिला-मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द
- (c) a map and an inscription on a stone मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख
- (d) all of the above /उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(d) में परिभाषित दस्तावेज शब्द के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

- 1. लेख दस्तावेज हैं,
- 2. मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटोचित्रित शब्द दस्तावेज हैं,
- 3. मानचित्र या रेखांक दस्तावेज हैं,
- 4. धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं।
- 5. उपहासांकन (व्यंग चित्र) एक दस्तावेज है।
- 6. ई-मेल, सर्वर लाग, इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटाप या स्मार्ट फोन में दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस में संग्रहित वॉयस मेल मैसेज दस्तावेज हैं।

30. Which of the following section defined evidence?

निम्नलिखित में से किस धारा में 'साक्ष्य' परिभाषित है?

- (a) Sec.2/धारा 2
- (b) Sec.3/धारा 3
- (c) Sec.2(1)(d)/धारा 2(1)(d)
- (d) Sec.2(1)(e)/धारा 2(1)(e)

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(e) में साक्ष्य शब्द को परिभाषित किया गया है।

31. Which of the following is the best evidence? निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन-सा है?

- (a) Documentary evidence/दस्तावेजी साक्ष्य
- (b) Direct evidence/प्रत्यक्ष साक्ष्य
- (c) Hearsay evidence/अनुश्रुत साक्ष्य
- (d) Circumstantial evidence/परिस्थितिजन्य साक्ष्य

Ans. (a) : साक्ष्य विधि हर, मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दिये जाने की अपेक्षा करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत-दस्तावेजी साक्ष्य को सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। धारा 2(1)(e) के अनुसार न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गयी सब दस्तावेजों जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी शामिल हैं, दस्तावेजी साक्ष्य हैं।

32. Electronic record presented for inspection of the court under Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है-

- (a) Electronic evidence/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य
- (b) Documentary evidence/दस्तावेजी साक्ष्य
- (c) Oral evidence/मौखिक साक्ष्य
- (d) Modern evidence/आधुनिक साक्ष्य

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(e) के अनुसार, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गयी सब दस्तावेजों जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी शामिल हैं, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं।

33. Under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 all documents including electronic or digital records produced for the inspection of the court are called

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख शामिल हैं, कहलाते हैं

- (a) Documentary evidence/दस्तावेजी साक्ष्य
- (b) Electronic evidence/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य
- (c) Both (A) and (B)/(A) और (B) दोनों
- (d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

CG PCS (J) 2025

Ans. (a) : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

34. The word "Evidence" does not include "साक्ष्य" शब्द में सम्मिलित नहीं है:-

- (a) Oral evidence /मौखिक साक्ष्य
- (b) Electronic evidence /इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य
- (c) Circumstantial evidence /परिस्थितिजन्य साक्ष्य
- (d) Only debate /केवल बहस

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(e) में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है-

साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं-

- (1) वे सभी कथन जिनके जाँचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं।
- (2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गयी सब दस्तावेजों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं, ऐसे दस्तावेजों दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं।

विभिन्न वादों के माध्यम से न्यायालय ने साक्ष्य के निम्नलिखित प्रकार का उल्लेख किया है-

- (1) प्रत्यक्ष साक्ष्य (2) परिस्थितिजन्य साक्ष्य
- (3) वास्तविक साक्ष्य (4) अनुश्रुत साक्ष्य
- (5) प्राथमिक अथवा मुख्य साक्ष्य (6) द्वितीयक अथवा गौण साक्ष्य
- (7) मौखिक साक्ष्य (8) दस्तावेजी साक्ष्य।

अतः साक्ष्य के अन्तर्गत केवल बहस नहीं आती है।

35. Point out the incorrect answer गलत उत्तर बताइए।

Evidence may be/साक्ष्य हो सकता है

- (a) Direct and indirect/प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
- (b) Primary and secondary/प्राथमिक एवं द्वितीयक
- (c) Oral and documentary/मौखिक एवं दस्तावेजी
- (d) Procedural and substantive प्रक्रियात्मक एवं सारवान

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक एवं सारवान साक्ष्य नहीं होता है जबकि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, प्राथमिक एवं द्वितीयक, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य; साक्ष्य में शामिल हैं।

36. Oral evidence is acceptable मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य होता है-

- (a) only when it is to be produced before the court/केवल जब वह न्यायालय के समक्ष दिया जाये
- (b) can be given anywhere, whether in court or at any other place/कहीं भी दिया जा सकता है, चाहे न्यायालय में या अन्य स्थान पर

- (c) When it is given in both trial and investigation
जब यह विचारण एवं अनुसंधान दोनों में दिया जाये
- (d) When it is given before the police officer in the investigation
जब यह अनुसंधान में पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया जाये

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(e) में परिभाषित साक्ष्य शब्द से स्पष्ट है कि मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य होता है जब वह न्यायालय के समक्ष दिया जाये। वे सभी कथन जिनके जाँचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों, द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं।

37. Evidence means and includes

साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है-

- (a) only oral evidence/केवल मौखिक साक्ष्य
- (b) only documentary evidence
केवल दस्तावेजी साक्ष्य
- (c) both oral evidence and documentary evidence
मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, दोनों
- (d) only such oral evidence based on documents
केवल ऐसा मौखिक साक्ष्य जो दस्तावेजों पर आधारित है

Ans. (c) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(e) में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार साक्ष्य शब्द के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों आते हैं।

38. Which of the following does not constitute evidence within the meaning of section 2(1)(e) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023?
निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(e) के तहत साक्ष्य नहीं माना गया है?

- (a) Tape recording of conversation
वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग
- (b) Affidavit /शपथ पत्र
- (c) Electronic record produced for the inspection of court/अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये गये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
- (d) All documents produced for the inspection of court/अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेज

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(e) में साक्ष्य की परिभाषा दी गयी जिसके अनुसार साक्ष्य या तो मौखिक या दस्तावेजी होगा। दस्तावेजी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी सम्मिलित हैं।

39. Under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 what is not evidence in the following/भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत निम्नलिखित में क्या साक्ष्य नहीं है?

- (a) Personal knowledge or observation of a Judge about the case during hearing/सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार
- (b) Statement of a dumb witness/मूक साक्षी का बयान
- (c) Documents produced for the inspection of the Court/न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
- (d) Electronic C.D./इलेक्ट्रॉनिक सी.डी.

Ans. (a) - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान और विचार को साक्ष्य नहीं माना जाता।

40. Bharatiya Sakshya Adhiniyam does not expressly mention about :-
भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है :-

- (a) Oral Evidence/मौखिक साक्ष्य का
- (b) Documentary Evidence/दस्तावेजी साक्ष्य का
- (c) Secondary Evidence/द्वितीयक साक्ष्य का
- (d) Circumstantial Evidence/परिस्थितिजन्य साक्ष्य का

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(e) में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य परिभाषित है तथा धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य परिभाषित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य का भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

41. In a criminal trial, Rajesh is accused of theft. During the investigation, the police recover a stolen laptop from a location known to be frequented by Rajesh. His fingerprints are found on the laptop. According to the Baratiya Sakshya Adhiniyam, 2023, how should the court interpret this pieces of evidence?

एक आपराधिक मुकदमे में राजेश पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। जाँच के दौरान, पुलिस लैपटॉप को उस स्थान से बरामद करती है जहाँ राजेश का अकसर आना-जाना था। लैपटॉप पर उसके फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार, अदालत को इस साक्ष्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए?

- (a) The recovered laptop and fingerprints are automatically considered conclusive proof of Rajesh's guilt./बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट को स्वतः ही राजेश के अपराध का निर्णायक सबूत माना जाएगा।
- (b) The recovered laptop and fingerprints are circumstantial evidence that can be considered along with other evidence, but do not by themselves prove guilt beyond reasonable doubt./बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ माना जा सकता है, लेकिन वे अपने आपमें उचित संदेह से परे अपराध साबित नहीं करते हैं।
- (c) The evidence is inadmissible because the police did not obtain a search warrant before recovering the laptop./साक्ष्य अस्वीकार्य है क्योंकि पुलिस लैपटॉप बरामद करने से पहले सर्च वारंट प्राप्त नहीं किया था।
- (d) The fingerprints must be verified by at least two independent forensic experts before being presented in court./अदालत में पेश किए जाने से पहले फिंगरप्रिंट को कम से कम दो स्वतंत्र फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

AIBE-2024

Ans. (b) : प्रस्तुत समस्या में प्राप्त लैपटॉप तथा उस पर फिंगरप्रिंट एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ उपयोग में लाया जा सकता है परन्तु मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले को संदेश से परे साबित नहीं किया जा सकता है।

**42. Which section of BSA define 'fact'-
बी.एस.ए. की किस धारा में 'तथ्य Sec. 2/धारा ' परिभाषित हैं –**

- (a) Sec.2(1)(d)/धारा 2(1)(d)
(b) Sec.2(1)(e)/धारा 2(1)(e)
(c) Sec.2(1)(f)/धारा 2(1)(f)
(d) Sec.2(1)(g)/धारा 2(1)(g)

Ans. (c) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(f) के तहत 'तथ्य' को परिभाषित किया गया है।

**43. Fact according to the Bharatiya Sakshya Adhinyam 2023 means and includes
साक्ष्य अधिनियम के अनुसार 'तथ्य' शब्द से अभिप्रेत है एवम् इसमें सम्मिलित है**

- (a) An existing thing/कोई वस्तु जो अस्तित्व में है
(b) Only a mental condition of which a person is conscious/केवल कोई मानसिक अवस्था जिसके प्रति कोई व्यक्ति सजग है

- (c) Only a visible thing/केवल कोई दृश्यमान वस्तु
(d) Any tangible and visible thing and it includes statements, feelings, opinions and state of mind/कोई भौतिक एवं दृश्यमान वस्तु तथा इसमें कोई कथन, भावनाएँ, राय एवं मानसिक स्थिति सम्मिलित है

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(f) के अनुसार, 'तथ्य' से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं-

1. ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो,
2. कोई मानसिक दशा, जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो।

**44. Anything, state of things or relation of things, capable of being perceived by the senses, is
ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो**

- (a) an evidence/एक साक्ष्य है
(b) fact/तथ्य है
(c) facts in issue/विवादक तथ्य है
(d) none of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(f) के अनुसार, तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत आते हैं-

- (1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो,
(2) कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो।

45. Any mental condition of which any person is conscious/कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो:

- (a) is not fact/तथ्य नहीं है
(b) Is fact/तथ्य है
(c) Is a condition other than fact
तथ्य से अन्य एक दशा है
(d) Is not fact but state of mind
तथ्य नहीं है वरन् चित्त की स्थिति है

Ans : (b) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(f) (ii) के अनुसार, कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो, एक तथ्य है।

**46. The word "facts" does not include.
"तथ्य" शब्द में सम्मिलित नहीं है:-**

- (a) That a man feared danger
कि एक आदमी को संकट की आशंका थी
(b) That a man heard gunshots
कि एक आदमी ने गोलियों की आवाज सुनी

(c) That one saw made another man running away

कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को भागते हुए देखा

(d) That the deceased has revealed the name of the attacker

कि मृतक ने हमलावर का नाम उजागर कर दिया

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(f) में तथ्य को परिभाषित किया गया है—

तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं—

(1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा बोध गम्य हो,

(2) कोई मानसिक दशा, जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को हो।

सुनना, देखना, आशंका करना तथ्य है, परन्तु मृतक द्वारा हमलावर का नाम उजागर करना तथ्य नहीं है।

47. There are certain objects arranged in a certain order in a certain place—

अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह—

(a) Is a fact/एक तथ्य है

(b) Is an opinion/एक राय है

(c) Is a document/एक दस्तावेज है

(d) Is a motive/एक हेतुक है

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(f) के दृष्टांत (i) के अनुसार, अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है।

48. Which of the following section of BSA define fact in issue –

बी.एस.ए. की निम्नलिखित में से किस धारा में विवाद्यक तथ्य को परिभाषित किया गया है?

(a) Sec.2(1)(g)/धारा 2(1)(g)

(b) Sec.2(1)(h)/धारा 2(1)(h)

(c) Sec.2(1)(i)/धारा 2(1)(i)

(d) Sec.2(1)(k)/धारा 2(1)(k)

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(g) में विवाद्यक तथ्य को परिभाषित किया गया है।

49. 'Facts in issue' means/ 'विवाद्यक तथ्य' का अर्थ है :

(a) Fact existence or non-existence of which asserted or is admitted by the parties/वह तथ्य जिसके अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया है

(b) Fact existence or non-existence of which asserted or denied by the parties/वह तथ्य जिसके अस्तित्व अथवा अनस्तित्व के बारे में पक्षकारों द्वारा स्वीकार या इंकार किया गया है

(c) Fact existence or non-existence of which is not disputed by the parties/वह तथ्य जिसके अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में पक्षकारों में विवाद नहीं है

(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(g) के अंतर्गत “विवाद्यक तथ्य” को परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार विवाद्यक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत – ऐसा कोई भी तथ्य आता है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संसर्ग, में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़कथन किया गया है या उससे इंकार किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है।

50. 'A' is tried for murder of 'B' intentionally beating him with a club causing his death, which of the following facts are in issue.

‘क’ का ‘ख’ की हत्या के लिये विचारण किया जाता है कि ‘क’ जानबूझकर डंडे से ‘ख’ को इतना पीटता है कि उससे ‘ख’ की मृत्यु हो जाती है निम्न में से कौन विवाद्यक तथ्य है --

(a) A's beating 'B' with club

‘क’ के द्वारा ‘ख’ को डंडे से पीटा जाना

(b) A's causing B's death by such beating

‘क’ द्वारा इस प्रकार पीटने से ‘ख’ की मृत्यु होना

(c) A's intention to cause B's death

‘ख’ की मृत्यु कारित करने का ‘क’ का आशय

(d) All the above/उपरोक्त सभी

Ans. (d) : प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(g) के दृष्टान्त पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या में B की हत्या का A अभियुक्त है उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्यक है—

1. A द्वारा B को डंडे से पीटा जाना।

2. A द्वारा इस प्रकार पीटने से B की मृत्यु हो जाना

3. B की मृत्यु कारित करने का A का आशय।

51. Facts alleged by one party and denied by the other in a case are termed as

किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है।

(a) positive facts/निश्चयात्मक तथ्य

(b) negative facts/निषेधात्मक तथ्य

(c) relevant facts/सुसंगत तथ्य

(d) facts in issue/विवाद्यक तथ्य

Ans : (d) किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को विवादक तथ्य कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(g) में विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है।

**52. Section 2(1)(h) of BSA define –
धारा 2(1)(h) में परिभाषित है –**

- (a) May presume/उपधारणा कर सकेगा
- (b) Shall presume/उपधारणा करेगा
- (c) Conclusive proof/निश्चयक सबूत
- (d) All the above/उपरोक्त सभी

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(h) में उपधारणा कर सकेगा परिभाषित है।

53. Whenever it is provided in the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 that the Court may presume a fact

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां कहीं भी यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा वहाँ?

- (a) may call for proof of that fact
उस तथ्य का सबूत माँग सकेगा
- (b) the court is bound to regard that fact as proved/न्यायालय उस तथ्य को साबित तथ्य के रूप में धारणा करने को बाध्य है
- (c) the parties can presume that fact as proved
पक्षकार उस तथ्य की बतौर साबित तथ्य उपधारणा कर सकते हैं
- (d) that fact is conclusive proof
वह तथ्य निश्चयक सबूत है

Ans. (a) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(h) में 'उपधारणा कर सकेगा', को परिभाषित किया गया है। 'उपधारणा कर सकेगा' से तात्पर्य है जहां कहीं साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की माँग कर सकेगा।

**54. Section 2(1)(i) of the BSA related to -
बी.एस.ए. की धारा 2(1)(i) संबंधित है–**

- (a) Proved/साबित
- (b) Not Proved/साबित नहीं हुआ
- (c) Disproved/नासाबित
- (d) Conclusive proof /निश्चय सबूत

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(i) 'साबित नहीं हुआ' से संबंधित है।

55. A fact is said to be "not proved"

कोई भी तथ्य “साबित नहीं हुआ” कहा जाता है

- (a) when it is disproved/जब वह नासाबित हुआ है
- (b) when, after considering the matters before it, the court believes that it does not exists.
जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात् यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है
- (c) When a prudent man considers that the fact does not exists./जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिसम्भाव्य समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है
- (d) when it is neither proved nor disproved.
जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित किया गया हो।

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(i) के अनुसार “कोई तथ्य साबित नहीं हुआ” कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित किया गया हो।

56. In which section of BSA 'Proved' is defined?

बी.एस.ए. की किस धारा में 'साबित' परिभाषित किया गया है?

- (a) Section 2 (i)/ धारा 2 (i)
- (b) Section 2 (j)/ धारा 2 (j)
- (c) Section 2 (k)/ धारा 2 (k)
- (d) Section 2 (l)/ धारा 2 (l)

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 (j) में साबित (Proved) को परिभाषित किया गया है।

57. Which section of BSA define 'Relevant'?

बी.एस.ए. की किस धारा में सुसंगत परिभाषित हैं?

- (a) Sec.2(1)(k)/धारा 2(1)(k)
- (b) Sec.2(1)(l)/धारा 2(1)(l)
- (c) Sec.2(1)(m)/धारा 2(1)(m)
- (d) Sec.2(1)(n)/धारा 2(1)(n)

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(k) के अनुसार, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबद्ध हो।

58. A beats B to death, following not relevant

A ने B को पीटकर मार दिया। निम्नलिखित तथ्य सुसंगत नहीं है–

- (a) His motive to kill B/उसका B को मारने का हेतु
- (b) His intention to kill B
उसका B को मारने का आशय
- (c) His kinship with B/उसकी B से रिश्तेदारी
- (d) Intrude which hit B/घूसें जो उसने B को मारे

Ans. (c) : A ने B को पीटकर मार दिया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(k) में सुसंगत शब्द की परिभाषा में आता है क्योंकि B को मारने का हेतु, आशय या घूसें मारना सुसंगत है लेकिन A की B से रिश्तेदारी सुसंगत नहीं होगी।

59. Under the law of evidence, the relevant fact साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत तथ्य

- (a) must be logically relevant
तार्किक रूप से अनिवार्यतः सुसंगत तथ्य
- (b) must be legally relevant
विधिक रूप से अनिवार्यतः सुसंगत होना चाहिए
- (c) must be legally and logically relevant
विधिक एवं तार्किक रूप से अनिवार्यतः सुसंगत होना चाहिए
- (d) must be legally and logically relevant and admissible
विधिक एवं तार्किक रूप से अनिवार्यतः सुसंगत एवं प्राह्य होना चाहिए

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(k) में 'सुसंगत' को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो।
अतः साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथ्य विधिक रूप से अनिवार्यतः सुसंगत होना चाहिए।

60. "Presumption of fact" under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023/भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अधीन "तथ्य की उपधारणा"-

- (a) is based on logic, human experience and natural events and law of nature
तर्क, मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है
- (b) is based on provisions of law
विधि के प्रावधानों पर आधारित है

- (c) cannot be ignored by the court
वह होती है जिसकी न्यायालय उपेक्षा नहीं कर सकता
- (d) is of certain and uniform position
की स्थिति निश्चित एवं समरूप होती है।

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अधीन "तथ्य की उपधारणा" तर्क, मानवीय अनुभव एवं प्राकृतिक घटनाओं व प्रकृति की विधि पर आधारित है।

61. Presumption under the law of evidence are— साक्ष्य विधि के अन्तर्गत उपधारणा हो सकती है—

- (a) Presumption of facts/तथ्य की उपधारणा
- (b) Presumption of law/विधि की उपधारणा
- (c) Both (a) and (b)/(a) एवं (b) दोनों
- (d) Only (b) and not (a)/केवल (b) न कि (a)

Ans. (c) : रसेल महोदय के अनुसार किसी तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान कर लेना ही उपधारणा कहलाता है। उपधारणा दो प्रकार की होती है—

1. तथ्य की उपधारणा
 2. विधि की उपधारणा-विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है—
- (a) खंडनीय उपधारणा (Rebuttable presumption)
 - (b) अखंडनीय उपधारणा (Irrebuttable presumption)

62. 'Shall Presume' defined under which section of BSA?/बीएसए की किस धारा में 'उपधारणा करेगा' परिभाषित है?

- (a) Section 2(1)(h)/धारा 2(1)(h)
- (b) Section 2(1)(i)/धारा 2(1)(i)
- (c) Section 2(1)(k)/धारा 2(1)(k)
- (d) Section 2(1)(l)/धारा 2(1)(l)

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1)(l) में 'उपधारणा करेगा' परिभाषित है।

63. Whenever it is directed by the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as/जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को—

- (a) proved, unless and until it is disproved
साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।

- (b) proved, unless and until it is disproved or may call for proof of it/
साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की माँग कर सकेगा।
- (c) proved/साबित मानेगा।
- (d) proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it
साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिये जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(1)(I) में उपधारणा करेगा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह नासाबित न कर दिया जाए।

64. A child below seven years of age enjoys absolute immunity from prosecution for criminal cases. This is a

सात वर्ष से कम आयु का बालक आपराधिक मामलों के अभियोजन से पूर्णतया उन्मुक्ति प्राप्त है यह है—

- (a) rebuttable presumption of fact
तथ्य की खण्डनीय उपधारणा
- (b) irrebuttable presumption of fact
तथ्य की अखण्डनीय उपधारणा
- (c) rebuttable presumption of law
विधि की खण्डनीय उपधारणा
- (d) irrebuttable presumption of law
विधि की अखण्डनीय उपधारणा

Ans. (d) : सात वर्ष से कम आयु का बालक आपराधिक मामलों के अभियोजन से पूर्णतया उन्मुक्ति प्राप्त है, यह विधि की अखण्डनीय उपधारणा है।

65. Words and expressions used in the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 and not defined therein , but defined in.....shall have the same meanings as assigned to them in the said Act and Sanhitas.

उन शब्दों और पदों के, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में हैं।

(a) the Code of Civil Procedure, 1908, the Specific Relief Act, 1963, the Information Technology Act, 2000, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023/

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023

(b) the Code of Civil Procedure, 1908, the Specific Relief Act, 1963, the Information Technology Act, 2000, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023/

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023

(c) the Code of Civil Procedure, 1908, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and the Information Technology Act, 2000/

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(d) the information Technology Act, 2000, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023/

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023

RJS 2025

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2(2) के अनुसार इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में हैं।

भाग 2— PART II

अध्याय

2.

तथ्यों की सुसंगति/

RELEVANCY OF FACTS

धारा - 3

विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा।/
Evidence may be given of facts in issue and relevant facts.

1. The provision for the relevancy of fact is contained?

तथ्यों की सुसंगति का प्रावधान निहित है:-

- (a) Section 3 to 50 of BSA
भा.सा.अ. की धारा 3 से 50 तक
- (b) Section 6 to 54 of BSA
भा.सा.अ. की धारा 6 से 54 तक
- (c) Section 7 to 56 of BSA
भा.सा.अ. की धारा 7 से 56 तक
- (d) Section 8 to 55 of BSA
भा.सा.अ. की धारा 8 से 55 तक

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अध्याय 2, धारा 3 से 50 तक में तथ्यों की सुसंगति का प्रावधान निहित है। तथ्यों की सुसंगति का प्रावधान यह निर्धारित करता है कि न्यायिक कार्यवाही में कौन से तथ्य किसी पक्षकार द्वारा साबित किये जा सकते हैं।

2. Which one of the following sections of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 provides that evidence may be given of facts in issue and relevant facts?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा?

- (a) Sec. 3/धारा 3
- (b) Sec. 4/धारा 4
- (c) Sec. 5/धारा 5
- (d) Sec. 60/धारा 60

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 3 के अनुसार, किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के, जिन्हें एतस्मिन्-पश्चात् (अर्थात् धारा 4-50) सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं। इस धारा का प्रभाव यह है कि साक्ष्य केवल विवाद्यक तथा सुसंगत तथ्यों तक सीमित रखा जायेगा।

3. 'A' is tried for the murder of 'B' by beating him with club with the intention of causing his death.

A's trial which one of the following is not a fact in issue?

'A' का परीक्षण 'B' की हत्या के लिए किया जाता है जो कि एक लाठी से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है।

'A' के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवाद्यक तथ्य नहीं है?

- (a) A's beating with the club.
'A' की लाठी से 'B' को मारना
- (b) A's conversation with 'C'
'A' की 'C' से बातचीत
- (c) A's causing 'B' 's' death with the club
'A' की लाठी से 'B' की मृत्यु कारित करना
- (d) 'A's intention to cause 'B's' death
'A' का 'B' की मृत्यु कारित करने का आशय।

Ans. (b) : 'A' का 'B' की हत्या के विचारण में यह तथ्य कि 'A' का 'C' से बातचीत विवाद्यक तथ्य नहीं है। जबकि 'A' का 'B' को लाठी से मारना, 'A' की लाठी से 'B' की मृत्यु कारित करना तथा 'A' का 'B' की मृत्यु कारित करने का आशय सभी विवाद्यक तथ्य हैं।

4. Which of the following Sections provides that evidence may be given of facts in issue?

निम्नलिखित में से किस धारा में कहा गया है कि विवाद्यक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा?

- (a) Section 3/धारा 3
- (b) Section 4/धारा 4
- (c) Section 5/धारा 5
- (d) Section 6/धारा 6

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के, जिन्हें इसमें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं।

5. Which is not the main principle that underlies the law of evidence?/निम्न में से कौन-सा तत्व साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है?

- (a) Evidence must be confined to the matter-in-issue /साक्ष्य को वाद विषय तक सीमित होना चाहिए।
- (b) Hearsay evidence must not be admitted
अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए।

- (c) Hearsay evidence must be admitted
अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार कर लेना चाहिए।
- (d) The best evidence must be given in all cases
सर्वोत्तम साक्ष्य सभी मामलों में देना चाहिए।

Ans. (c) साक्ष्य अधिनियम के तीन मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं-

- (1) किसी वाद या कार्यवाही में विवाद्यक तथ्य एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाना चाहिए।
- (2) प्रत्येक मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए।
- (3) अनुश्रुत साक्ष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

नोट- कुछ मामलों में अनुश्रुत साक्ष्य अपवाद स्वरूप ग्राह्य किये जाते हैं।

6. Whether evidence of non- existence of a fact-in issue may be given/क्या किसी विवाद्यक तथ्य के अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा?

- (a) Yes/हाँ
- (b) No/नहीं
- (c) Depends upon the wishes of party
पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है
- (d) Depends upon permission of Court
न्यायालय की अनुज्ञा पर निर्भर है

उत्तर-(a): भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन् पश्चात् सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा।

7. A is tried for murder of B. Which one of the following is not a relevant fact?

‘क’ ‘ख’ के हत्या के लिए विचारित किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसंगत तथ्य नहीं है?

- (a) A had murdered X and B was aware of that
क ने य की हत्या की थी और ख इस बात को जानता था
- (b) B was a drug addict/ख नशे का अभ्यासी था
- (c) B had tried to extort money from A
ख, क से धन प्राप्त करने के उद्दापन किया था
- (d) B had threatened A that he would disclose the information regarding the murder of X/ख ने क को धमकी दिया था कि वह य की हत्या की बात को लोकविदित कर देगा

Ans. (b) : B की हत्या के विचारण में यह तथ्य कि B नशे का अभ्यासी था यह सुसंगत तथ्य नहीं है। क्योंकि इस तथ्य का विवाद्यक तथ्य से कोई संबंध दर्शित नहीं होता है।

धारा - 4

एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति।

Relevancy of facts forming part of same transaction.

8. Facts which form part of the same transaction are relevant under which Section of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023?/जो तथ्य एक ही संव्यवहार के भाग हैं, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं?

- (a) Section 4/धारा 4
- (b) Section 7/धारा 7
- (c) Section 5/धारा 5
- (d) Section 9/धारा 9

Ans. (a) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 4 ‘एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति’ के संबंध में प्रावधान करती है, जिसे रेस जेस्टे (Res gestae) का नियम भी कहते हैं।

9. Fact forming part of the same Transaction are known as:/वे तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं उनको जाना जाता है।

- (a) Plea of Alibi/प्ली ऑफ ऐलिबी
- (b) Dying Declaration/मृत्युकालीन घोषणा
- (c) Admission/स्वीकृति
- (d) Res Gestae/रेस जेस्टे

Ans. (d) वे तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं, उनको रेस जेस्टे के नाम से जाना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 में एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति का प्रावधान किया गया है।

10. Under Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 the doctrine of res gestae applies to भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है

- (a) only civil proceedings/केवल दीवानी मामलों में
- (b) only criminal proceedings
केवल फौजदारी मामलों में
- (c) only to administrative tribunals
केवल प्रशासनिक अधिकरणों में
- (d) both (a) and (b)/दोनों (a) तथा (b) में

Ans. (d) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 4 के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत दीवानी एवं फौजदारी दोनों ही मामलों में लागू होता है।

11. Which among the following sections of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is an exception to the general rule 'hearsay evidence is no evidence'/?

भा. सा. अधिनियम, 2023 की कौन सी धारा इस सामान्य नियम का अपवाद है कि “अनुश्रुत साक्ष्य, साक्ष्य नहीं है”?

Youth Competition Times

भारतीय न्याय संहिता, 2023

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

क्रमांक 45 सन् 2023 / No. 45 of 2023

वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश MCQ's + PYQ's

द्विभाषी संस्करण/Diglot Edition

प्रधान सम्पादक

Anand K. Mahajan

लेखन सहयोग

अधिवक्ता अभिषेक सिंह,

मनीष सिंह (LLM/NET), अभिनव मिश्रा

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण, पंकज कुशवाहा

संपादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002



9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com/www.yctbooksprime.com

© All Rights Reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने आर.ए. सिक्वोरिटी प्रिंटर्स, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर,
वाई.सी.टी. पब्लिकेशन प्रा.लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है

फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव और सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य : 495/-

INDEX

❑	PRELIMINARY/प्रारंभिक (Section/धारा 1-3)	5-23
❑	Of Punishments/दंडों के विषय में (Section/धारा 4-13).....	24-28
❑	General Exceptions/साधारण अपवाद (Section/धारा 14-44).....	29-57
	• Of the Right of Private Defence/प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में (Section/ धारा 34-44)	46
❑	Of Abetment, Criminal Conspiracy and Attempt/दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में (Section/धारा 45-62)	58-75
	• Of Abetment/दुष्प्रेरण के विषय में (Section/धारा 45-60)	58
	• Of Criminal Conspiracy/आपराधिक षड्यंत्र के विषय में (Section/धारा 61)	70
	• Of Attempt/ प्रयत्न के विषय में (Section/धारा 62)	72
❑	Of Offences Against Woman & Child/महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में (Section/धारा 63-99).....	76-97
	• Of Sexual Offences/लैंगिक अपराधों के विषय में (Section/धारा 63-73).....	76
	• Of Criminal Force and Assault Against Woman/महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में (Section/धारा 74-99).....	86
	• Of Offences Relating to Marriage/विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में (Section/धारा 80-87).....	89
	• Of Causing Miscarriage, etc./गर्भपात, आदि कारित करने के विषय में (Section/धारा 88-92).....	95
	• Of Offences Against Child/बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में (Section/धारा 93-99)	96
❑	Of Offences affecting the Human Body/मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में (Section/धारा 100-146)	98-148
	• Of Offences Affecting Life/ जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में (Section/धारा 100-113)	98

• Of Hurt/उपहति के विषय में (Section/धारा 114-125).....	125
• Of Wrongful Restraint and Wrongful Confinement/सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में (Section/धारा 126-127).....	133
• Of Criminal Force and Assault/आपराधिक बल और हमला के विषय में (Section/धारा 128-136).....	136
• Of Kidnapping, Abduction, Slavery & Forced Labour/व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में (Section/धारा 137-146).....	141
☐ Of Offences Against the State/राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में (Section/धारा 147-158)	149-152
☐ Of Offences Relating to the Army, Navy and Air Force/सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में (Section/धारा 159-168).....	153-154
☐ Of Offences Relating to Elections/निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में (Section/धारा 169-177)	155-158
☐ Of Offences Relating to Coin, Currency-Notes, Bank-Notes, and Government Stamps/सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टॉम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में (Section/धारा 178-188)	159-163
☐ Of Offences Against the Public Tranquillity/लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में (Section/धारा 189-197)	164-173
☐ Of Offences by or Relating to Public Servants/लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में (Section/धारा 198-205)	174-175
☐ Of Contempts of the Lawful Authority of Public Servants/लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में (Section/धारा 206-226)	176-179
☐ Of False Evidence & Offences against Public Justice/मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में (Section/धारा 227-269)	180-190
☐ Of Offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals/लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में (Section/धारा 270-297).....	191-196
☐ Of Offences Relating to Religion/धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में (Section/धारा 298-302)	197-198

❑ Of Offences Against Property/संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में (Section/धारा 303-334)	199-235
• Of Theft/चोरी के विषय में (Section/धारा 303-307)	199
• Of Extortion/उद्दापन के विषय में (Section/धारा 308)	205
• Of Robbery and Dacoity/लूट और डकैती के विषय में (Section/धारा 309-313)	207
• Of Criminal Misappropriation of Property/संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में (Section/धारा 314-315)	214
• Of Criminal Breach of Trust/आपराधिक न्यासभंग के विषय में (Section/धारा 316).....	217
• Of Receiving Stolen Property/चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में (Section/धारा 317)	222
• Of Cheating/छल के विषय में (Section/धारा 318-319)	224
• Of Fraudulent Deeds and Dispositions of Property/कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में (Section/धारा 320-323)	227
• Of Mischief/रिष्टि के विषय में (Section/धारा 324-328)	227
• Of Criminal Trespass/आपराधिक अतिचार के विषय में (Section/धारा 329-334).....	232
❑ Of Offences Relating to Documents and to Property Marks/दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में (Section/धारा 335-350)	236-240
• Of Property Marks/संपत्ति चिह्नों के विषय में (Section/धारा 345-350).....	239
❑ Of Criminal Intimidation, Insult, Annoyance, Defamation, etc./आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ, मानहानि, आदि के विषय में (Section/धारा 351-358)	241-247
• Of Defamation/मानहानि के विषय में (Section/धारा 356)	243
• Breach of contract to attend on and supply wants of helpless person/असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में (Section/धारा 357)	247
• Repeal and Savings/निरसन और व्यावृत्ति (Section/धारा 358).....	247
❑ भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की तुलनात्मक सारणी.....	248-272

अध्याय 1

PRELIMINARY/प्रारंभिक (Section/धारा 1-3)

1. What is Act no. of Bharatiya Nyaya Sanhita?
भारतीय न्याय संहिता का अधिनियम संख्यांक क्या है?

- (a) Act 56 of 2003/2003 का अधिनियम संख्यांक 56
- (b) Act 45 of 2023/2023 का अधिनियम संख्यांक 45
- (c) Act 03 of 2024/2024 का अधिनियम संख्यांक 03
- (d) Act 56 of 2024/2024 का अधिनियम संख्यांक 56

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अधिनियम संख्यांक 45 है।

2. Bharatiya Nyaya Sanhita got Presidential assent on-

- भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति की अनुमति मिली-
- (a) 23-02-2023
 - (b) 25-12-2023
 - (c) 01-07-2024
 - (d) 01-07-2023

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति 25-12-2023 अर्थात् 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई।

3. When did the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 receive the assent of the President of India?
भारतीय न्याय संहिता, 2023 को भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति कब मिली?

- (a) 23rd December 2023/23 दिसम्बर, 2023
- (b) 24th December, 2023/24 दिसम्बर, 2023
- (c) 25th December, 2023/25 दिसम्बर, 2023
- (d) 26th December, 2023/25 दिसम्बर, 2023

UK PCS (J) 2025

Ans. (c) : ऊपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

4. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 came into force on:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रभाव में आया-

- (a) 6-10-2023
- (b) 10-10-2024
- (c) 1-1-2024
- (d) 1-7-2024

Ans.-(d) भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रभाव में 1 जुलाई, 2024 को आया।

5. Section 1 of the BNS, 2023 deals with/- भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 सम्बन्धित है-

- (a) The definition of offence/अपराध की परिभाषा से
- (b) Short title, commencement and application/ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

(c) Title and its jurisdiction/संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से

(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans : (b) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1 संहिता के संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होने के संबंध में प्रावधान करता है।

6. According to section 1(3) of the BNS, who is liable to be punished for an offence committed within India?

बीएनएस की धारा 1(3) के अनुसार, भारत के अंदर किए गए अपराध के लिए कौन दंडनीय होगा?

- (a) Only Indian citizen/केवल भारतीय नागरिक
- (b) Only Non-citizen/केवल अनागरिक
- (c) Every person/प्रत्येक व्यक्ति
- (d) Only person with valid residence permit/केवल वैध निवास परमिट वाला व्यक्ति

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1(3) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति (नागरिक तथा अनागरिक) भारत के अंदर किए गए अपराध के लिए इस संहिता के तहत ही दण्डनीय होगा।

7. Which section of BNS provides for punishment of offence committed beyond India?

बीएनएस की कौन सी धारा भारत से बाहर किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है?

- (a) Section 1(2)/धारा 1(2)
- (b) Section 1(3)/धारा 1(3)
- (c) Section 1(4)/धारा 1(4)
- (d) Section 1(5)/धारा 1(5)

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1(4) में प्रावधान किया गया है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, मानों वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।

8. Which section of BNS provides for extra territorial operation of the Sanhita?

बीएनएस की कौन सी धारा बाह्य क्षेत्रीय संचालन का प्रावधान करती है?

- (a) Section 1(2)/धारा 1(2)
- (b) Section 1(3)/धारा 1(3)
- (c) Section 1(4)/धारा 1(4)
- (d) Section 1(5)/धारा 1(5)

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1(5) बाह्य क्षेत्रीय संचालन का प्रावधान करती है।

9. The BNS shall not affect the provisions of the Following-

बीएनएस निम्नलिखित उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी-

- (a) Punishment for mutiny and desertion of soldiers/सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दण्ड
- (b) Special law/विशेष विधि
- (c) Local law/स्थानीय विधि
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 1(6) में प्रावधान किया गया है कि इस संहिता की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

10. What is the correct definition of offence?
अपराध की सही परिभाषा क्या है?

- (a) Act punishable by law/विधि द्वारा दण्डनीय कृत्य
- (b) Act prohibited by law/विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य
- (c) Immoral act/अनैतिक कृत्य
- (d) Act punishable and prohibited by law/विधि द्वारा निषिद्ध एवं दण्डनीय कृत्य

Ans. (d) : अपराध की परिभाषा विभिन्न विधिशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है-

ब्लैक स्टोन के अनुसार-"निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है।

स्टीफेन के अनुसार-अपराध, विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है।

केनी के अनुसार-अपराध ऐसे दोष हैं, जिसमें अनुशास्ति दण्डात्मक होती है तथा जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है।

बीएनएस-2023 की धारा 2(24) अपराध को संहिता द्वारा दण्डनीय होने के आधार पर परिभाषित करती है।

11. Who among the following defined crime as "an act committed or omitted in violation of public law either forbidding or commanding it"?

निम्नलिखित में से किसने अपराध को "ऐसा कृत्य जिसे निषेधात्मक या आज्ञात्मक रूप से सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो या नहीं किया हो" के रूप में परिभाषित किया है?

- (a) Russel/रसेल
- (b) Kenny/केनी
- (c) Blackstone/ब्लैकस्टोन
- (d) J.F.Stephen/जे.एफ. स्टीफेन

Ans. (c) : ब्लैकस्टोन ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा कि "निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है।"

12. Fill in the gap:

खाली स्थान को भरिए:

Disobedience of law is not ordinarily a crime unless that act is declared as crime by some.....
कानून की अवज्ञा सामान्यतः एक अपराध नहीं है जब तक कि उस कार्य को किसी.....के द्वारा अपराध न घोषित कर दिया जाए।

- (a) Law/कानून
- (b) Method/प्रणाली
- (c) Society/समाज
- (d) All the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (a) : कानून की अवज्ञा सामान्यतः एक अपराध नहीं है जब तक कि उस कार्य को किसी कानून के द्वारा अपराध न घोषित कर दिया जाय।

13. Which in the following is not inchoate crime?
निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण अपराध नहीं है?

- (a) Attempt/प्रयत्न
- (b) Criminal conspiracy/आपराधिक षड्यंत्र
- (c) Abetment/दुष्प्रेरण
- (d) Kidnapping/व्यपहरण

Ans. (d) : कुछ मामलों में यद्यपि आपराधिक कृत्य पूर्ण नहीं हुआ हो अर्थात् किसी व्यक्ति को क्षति न हुई हो फिर भी अपराध गठित हो जाता है। इनको अपूर्ण अपराध (प्रारंभिक अपराध) कहते हैं, जैसे- प्रयत्न, आपराधिक षड्यंत्र तथा दुष्प्रेरण।

14. Which of the following statement is correct?
निम्न में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) Offence is essentially an immoral act
अपराध अनिवार्यतः एक अनैतिक कृत्य है।
- (b) Offence is an illegal act
अपराध एक अवैधानिक कृत्य है।
- (c) Offence is necessarily an anti-social act
अपराध अनिवार्यतः एक समाज विरोधी कृत्य है
- (d) Offence is necessarily an anti-religious act
अपराध अनिवार्यतः एक धर्म विरोधी कृत्य है

Ans. (b) : अपराध (Offence) एक अवैधानिक कृत्य है। कोई कार्य अपराध की श्रेणी में तभी आता है जब उस कार्य को विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया हो अर्थात् कोई कार्य विधि के विरुद्ध (अवैधानिक) होने पर ही दण्डनीय होता है।

15. The application of doctrine of vicarious liability in crimes seems to have been actuated by a necessity rather than desirability. The justification is based on which of the following? अपराधों में प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धान्त को लागू करने में वांछनीयता से अधिक आवश्यकता के कारण संभव हुआ। इसका औचित्य किस पर आधारित है?

- (a) Public policy/लोक नीति
- (b) Failure to supervise/
पर्यवेक्षण की असफलता
- (c) Treated as unauthorised/
अनधिकृत समझा गया
- (d) Strict liability/कठोर दायित्व

Ans. (a) : आपराधिक विधि के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धान्त आवश्यकता पर आधारित है, न कि वांछनीयता पर तथा इसका औचित्य लोकनीति पर आधारित है।

आर. बनाम हिगिंस के वाद में सर्वप्रथम यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया।

16. Malum Prohibitum means: 'मेलम प्रोहिबिटम' का अर्थ है

- (a) Intrinsically wrong/मूल रूप से गलत है
- (b) Course of law has made it otherwise
कानून की प्रक्रिया इसे अन्यथा बनाती है।
- (c) Innocent but made punishable by statute
निर्दोष परन्तु परिनियम ने दण्डनीय बना दिया
- (d) All of them/उपर्युक्त सभी

Ans. (c) : 'मेलम प्रोहिबिटम' का अर्थ है निर्दोष परन्तु परिनियम ने दण्डनीय बना दिया है। ये अपराध मात्र विधि द्वारा निषिद्ध होते हैं। मेलम इन सी (Malum in se) मूल रूप से गलत होते हैं।

17. Wantonly means: स्वैरता से का भाव है—

- (a) Things done recklessly/
अंधाधुंध किये गये कार्य
- (b) Things done malignantly/
द्वेषपूर्वक किये गये कार्य
- (c) Acts done through mischief
शरासत किये गये कृत्य
- (d) All the above/उपरोक्त सभी

Ans. (a) : स्वैरता से अभिप्रेत है अन्धाधुन्ध बिना सोचे-विचारे और किसी औचित्य अथवा परिणामों को ध्यान में न रखकर किये गये कार्य। इस शब्द का प्रयोग भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 192 में हुआ है।

18. The Essential and chief ingredients of 'crime' are: 'अपराध' के मुख्य आवश्यक तत्व हैं :

- (a) Motive, mens rea and actus reus
हेतु, आपराधिक मनःस्थिति तथा आपराधिक कार्य
- (b) Motive, intention and knowledge
हेतु, आशय तथा ज्ञान
- (c) Mens rea and actus reus
आपराधिक मनःस्थिति एवं आपराधिक कार्य
- (d) Knowledge, intention and action
ज्ञान, आशय तथा कार्रवाई

Ans. (c) अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं – (i) मानव या व्यक्ति, (ii) आपराधिक मनःस्थिति, (iii) आपराधिक कार्य, (iv) क्षति।

19. Which one of the following is not an essential element of crime? निम्न में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है?

- (a) Mens rea/दुराशय
- (b) Actus reu/आपराधिक कृत्य
- (c) Injury/क्षति
- (d) Motive/हेतु

Ans. (d) : हेतु आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। आपराधिक दायित्व के चार आवश्यक तत्व हैं—

- (1) मानव
- (2) दुराशय या आपराधिक मनःस्थिति
- (3) आपराधिक कृत्य
- (4) क्षति

20. Which of the following are not essential for offence. निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है?

- (a) Intention/आशय
- (b) Object/उद्देश्य
- (c) Prohibited act/वर्जित कार्य
- (d) Punishment for act/कार्य के लिए दण्ड

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत किसी कार्य के अपराध होने के लिए दुराशय का होना अपेक्षित है, उद्देश्य का नहीं।

21. Which one of the following is not generally an essential element of crime? निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है?

- (a) Intention/आशय
- (b) Object/उद्देश्य
- (c) Prohibited act/वर्जित कार्य
- (d) Punishment for act/कार्य के लिए दण्ड

- (a) Actus reus/आपराधिक कृत्य
- (b) Mens rea/दुराशय
- (c) Motive/हेतु
- (d) Human being/मानव

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अपराध को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि “अपराध विधि द्वारा दण्डनीय कार्य है क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध है या लोकहित के लिए हानिकारक है।” अपराध के चार आवश्यक तत्व हैं-

- (1) एक मानव जिसे विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है,
 - (2) ऐसे मानव के मन में दुराशय या आपराधिक मनः स्थिति,
 - (3) ऐसे मानव द्वारा कार्य (आपराधिक कृत्य) या लोप,
 - (4) ऐसे कार्य (आपराधिक कृत्य) या लोप से व्यक्ति या समाज को क्षति।
- अतः हेतु (Motive) अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है।

22. In which one of the following offences 'mens rea' is not an essential element?

निम्नलिखित में से किस अपराध में ‘दुराशय’ एक आवश्यक तत्व नहीं है?

- (a) Assault/हमला में
- (b) Bigamy/द्विविवाह में
- (c) Defamation/मानहानि में
- (d) None of the above/उपरोक्त में किसी में नहीं

Ans. (b) : दुराशय का अर्थ है “दोषपूर्ण या आपराधिक आशय”। दुराशय का सिद्धान्त सामान्य विधि की सूक्ति “**Actus non-facit reum nisi mens sit rea**” पर आधारित है जिसका अर्थ है- कृत्य स्वयं किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो।

निम्नलिखित परिस्थितियों में दुराशय का सिद्धान्त लागू नहीं होता-

- (i) कठोर दायित्व (ii) पूर्ण दायित्व (iii) लोक न्यूसेन्स (उपताप)
- (iv) न्यायालय की मानहानि (v) द्विविवाह (vi) व्यपहरण और अपहरण (vii) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना।

23. The maxim 'ream linguam non facit nisi mens rea' is propounded by

सूत्र वाक्य ‘रीम लिंग्वम नॉन फैसिट निसि मेंसरी’ के प्रस्तुतकर्ता हैं?

- (a) Coke/कोक
- (b) Lord Kenyon/लॉर्ड केन्यॉन
- (c) Augustine/ऑगस्टिन
- (d) Lord Arbinge/लॉर्ड अर्बिंजर

Ans. (c) : सूत्र वाक्य: ‘रीम लिंग्वम नॉन फैसिट निसि मेंसरी’ का अर्थ है “कोई भी कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी दोषी न हो”। इस सूत्र वाक्य के प्रस्तुतकर्ता ऑगस्टिन है।

24. If actus non facit reum nisi mens sit rea is a cardinal principle of criminal law, then which one of the following statements correctly reflects the above principle?

यदि ‘एक्टस नॉन फैसिट रियम निसि मेंस सिट रिया’ आपराधिक कानून का एक मुख्य सिद्धान्त है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उपरोक्त सिद्धान्त को सही ढंग से दर्शाता है?

- (a) Mens rea is an essential element of a crime and there cannot be a crime without mens rea/‘मेंस रिया’ अपराध का एक अनिवार्य तत्व है और इसके बिना कोई अपराध नहीं हो सकता
- (b) Criminal liability under Indian law always implies mens rea/भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व का तात्पर्य हमेशा ‘मेंस रिया’ से है
- (c) To constitute a crime, there must be actus reus and mens rea/अपराध का गठन करने के लिए ‘एक्टस रियस’ एवं ‘मेंस रिया’ का होना अनिवार्य है
- (d) Actus reus is not always necessary to constitute a crime/‘एक्टस रियस’ अपराध का गठन करने के लिए हमेशा आवश्यक नहीं होता

Ans. (c) : ‘Actus non facit reum nisi mens sit rea’ आपराधिक विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है, जिसका अर्थ है- ‘केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो’।

अपराध के निम्न आवश्यक तत्व हैं-

- 1. मानव (व्यक्ति)
- 2. मेंस रिया (दुराशय)
- 3. एक्टस रियस (अवैध कार्य या लोप)
- 4. अन्य व्यक्ति को क्षति।

अतः अपराध का गठन होने के लिए ‘एक्टस रियस’ एवं ‘मेंस रिया’ का होना अनिवार्य है।

25. The maxim "actus non facit reum, nisi mens sit rea" means “एक्टस नॉन फैसिट रियम निसि मेंस सिट रिया” से तात्पर्य है :

- (a) Crime has to be coupled with guilty mind
अपराध दोषी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है
- (b) There can be no crime without a guilty mind
बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता
- (c) Crime is the result of guilty mind
अपराध दोषी मस्तिष्क का परिणाम है
- (d) Guilty mind leads to crime
दोषी मस्तिष्क अपराध को अग्रसर करता है

Ans. (b) 'Actus non facit reum nisi mens sit rea' सूक्ति का अर्थ है –“बिना दोषी मस्तिष्क के कोई अपराध नहीं हो सकता।” न्यायमूर्ति कोक ने भी कहा है कि केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता, यदि उसका मन भी अपराधी न हो।

26. To find mens rea it is necessary that there must exist:

आपराधिक मनःस्थिति को जानने के लिए यह आवश्यक है कि

- The Act was intended/कृत्य इच्छित था
- There must be a resultant consequence उसका परिणाम अनिवार्य था
- The Act of causing injury to another ऐसा कृत्य जिससे दूसरे को क्षति पहुँचे
- The knowledge of existence of facts तथ्यों के अस्तित्व का ज्ञान

Ans. (a) : आपराधिक मनःस्थिति को जानने के लिए आवश्यक है कि कृत्य इच्छित (आशयित) था। दण्ड विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि “कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन दूषित न हो।” यदि कार्य दूषित आशय से किया गया है तभी दायित्व उत्पन्न होगा अन्यथा नहीं।

27. Denotion of mens rea is inferred through:
आपराधिक मनःस्थिति को अनुमत किया जाता है

- Reason to believe/विश्वास के कारण
- Voluntarily/स्वेच्छया
- Dishonestly/बेईमानी से
- All the above/उपरोक्त सभी से

Ans. (d) : आपराधिक मनःस्थिति को निम्नलिखित शब्दों से पहचाना जा सकता है—

- विश्वास के कारण
- स्वेच्छया से
- बेईमानी से
- कपटपूर्वक
- जानबूझकर
- धोखे से
- स्वैरिता से इत्यादि।

28. Which one of the following is not punishable under the BNS?
निम्नलिखित में से कौन बी०एन०एस० के अधीन दण्डनीय नहीं है?

- Preparation to commit murder हत्या करने की तैयारी
- Preparation to commit dacoity डकैती करने की तैयारी

- Preparation to wage war against the state राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी
- Preparation to commit depredation on the territory of a friendly power/किसी मित्र शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी

Ans : (a) सामान्यतः तैयारी दण्डनीय नहीं है। केवल निम्न अपवादिक दशाओं में अपराध करने की तैयारी को दण्डनीय बनाया गया है—

- भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना (धारा 149)
- भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना अथवा लूटपाट करने की तैयारी करना (धारा 154)
- सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना (धारा 181)
- डकैती करने के लिए तैयारी करना (धारा 310(4))

29. Preparation to commit murder is—
हत्या कारित करने की तैयारी है—

- Punishable/दण्डनीय
- Not punishable/दण्डनीय नहीं
- Punishable with fine/जुर्माना सहित दण्डनीय
- All the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत हत्या कारित करने की तैयारी को दण्डनीय नहीं बनाया गया है।

30. Preparation of which of the following offences is punishable/निम्न में से किस अपराध की तैयारी दण्डनीय है—

- Waging war against India/भारत के विरुद्ध युद्ध
 - Counterfeiting of coin/सिक्के का कूटकरण
 - Murder/हत्या
 - Dacoity/डकैती
- 1, 2 and 4/1, 2 और 4
 - 1, 2 and 3/1, 2 और 3
 - 1 and 2/1 और 2
 - 1 and 4/1 और 4

Ans. (d) : निम्न अपवादिक दशाओं में अपराध करने की तैयारी को दण्डनीय बनाया गया है—

- भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना (धारा 149)
- सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना (धारा 181)
- डकैती करने के लिए तैयारी करना (धारा 310(4))

31. In which of the following Sections of BNS, 2023 'preparation' is punishable?

बीएनएस, 2023 में “तैयारी” को निम्नलिखित में से किसमें दण्डनीय माना गया है?

- (a) Sections 121, 125, 356/धाराएं 121, 125, 356
- (b) Sections 121, 125, 352/धाराएं 121, 125, 352
- (c) Sections 149, 154, 310(4)/धाराएं 149, 154, 310(4)
- (d) Sections 121, 126, 347/धाराएं 121, 126, 347

Ans. (c) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 149, 154 तथा 310(4) में तैयारी को दण्डनीय बनाया गया है।

32. How many stages of Crime?

अपराध के कितने चरण होते हैं?

- (a) 3
- (b) 2
- (c) 5
- (d) 4

Ans. (d) : अपराध के चार चरण होते हैं-

- (1) **आशय**-यह प्रथम चरण होता है, जो कभी भी दण्डनीय नहीं है।
- (2) **तैयारी**-अपराध का दूसरा चरण है, जो सामान्यतः दण्डनीय नहीं होता है, किन्तु कुछ अपराधों में, जैसे-भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, यह दण्डनीय होता है।
- (3) **प्रयत्न**-यह अभियुक्त का आशय स्पष्ट कर देता है, अतः यह सदैव दण्डनीय होता है।
- (4) **अपराध की पूर्णता**-वांछित परिणाम प्राप्ति पर वह कृत्य या लोप सदैव दण्डनीय होता है।

33. Section 2 of BNS related to -
बीएनएस की धारा 2 संबंधित है-

- (a) Definition Clause/परिभाषा खंड
- (b) General Explanation/साधारण स्पष्टीकरण
- (c) General Definition/साधारण परिभाषा
- (d) General Exception/साधारण अपवाद

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 परिभाषा खंड से संबंधित है।

34. In which Section of the BNS, 2023 the word 'act' is defined?

भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में ‘कार्य’ शब्द को परिभाषित किया गया है?

- (a) Section 2(1)/धारा 2(1)
- (b) Section 2(2)/धारा 2(2)
- (c) Section 2(3)/धारा 2(3)
- (d) Section 2(4)/धारा 2(4)

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(1) में “कार्य” को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार, ‘कार्य’ कार्यो की आवली का उसी प्रकार द्योतक है, जिस प्रकार एक कार्य का।

35. In which section of BNS, 2023 'Animal' is defined -

बीएनएस, 2023 की किस धारा में ‘जीवजन्तु’ परिभाषित है-

- (a) Section 2(1)/धारा 2(1)
- (b) Section 2(2)/धारा 2(2)
- (c) Section 2(6)/धारा 2(6)
- (d) Section 2(8)/धारा 2(8)

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(2) में जीवजन्तु को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार, ‘जीवजन्तु’ से मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है।

36. Under Section 2(3) of BNS "Child" denotes:-

बीएनएस, 2023 के धारा 2(3) के अंतर्गत “शिशु” से अभिप्रेत है:-

- (a) Any person below 12 years/12 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति
- (b) Any person below 16 years if female, 18 years if male/16 वर्ष से कम आयु की कोई स्त्री, 18 वर्ष से कम आयु का पुरुष कोई व्यक्ति
- (c) Any person below 18 years/18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति
- (d) Any person below 12 years of immature understandin/12 वर्ष से कम आयु का अपरिपक्व समझ का कोई व्यक्ति

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(3) के अनुसार ‘शिशु’ से अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

37. BNS, 2023 "counterfeit" is defined under-

बीएनएस, 2023 के अन्तर्गत ‘कूटकरण’ परिभाषित है-

- (a) Section 2(3)/धारा 2(3) में
- (b) Section 2(4)/धारा 2(4) में
- (c) Section 2(5)/धारा 2(5) में
- (d) Section 2(6)/धारा 2(6) में

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(4) के अनुसार जो कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जायेगी, वह कूटकरण करता है।

38. Causing one thing to resemble another things is known as:

किसी एक चीज से मिलती-जुलती चीज के सदृश्य करने को क्या कहते हैं?

- (a) Counterfeit/कूटकरण
- (b) Deception/प्रवर्चना
- (c) Cheating/छल
- (d) All of them/उपर्युक्त सभी

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(4) के अनुसार, किसी एक चीज से मिलती जुलती चीज के सदृश्य करने को कूटकरण कहते हैं।

39. "Court" is defined in BNS, 2023 under which section.

“न्यायालय” शब्द को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (a) Section 2(1)/धारा 2(1)
- (b) Section 2(2)/धारा 2(2)
- (c) Section 2(3)/धारा 2(3)
- (d) Section 2(5)/धारा 2(5)

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(5) में ‘न्यायालय’ शब्द को परिभाषित किया गया है।

40. The words court denote in BNS, 2023/ भारतीय न्याय संहिता 2023 में “न्यायालय” शब्द द्योतक है:

- (a) That chamber in which judge sitting
उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है
- (b) A court of civil judge
एक सिविल जज के न्यायालय के
- (c) A judge who is empowered by law to act judicially alone
ऐसे न्यायाधीश के जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है
- (d) None of the above/उपरोक्त में से किसी का भी नहीं

Ans : (c) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(5) में न्यायालय को परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार, न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है, जिसे न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा है।

41. As per section 2(6) of BNS 2023 'death' means- बीएनएस की धारा 2(6) के तहत ‘मृत्यु’ से अभिप्रेत है-

- (a) Death of Human being/मानव की मृत्यु
- (b) Death of Animal/जीवजन्तु की मृत्यु
- (c) Death of any living creatures/किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु
- (d) All the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(6) के अनुसार, मृत्यु से मानव की मृत्यु अभिप्रेत है।

42. Under which section of BNS, 2023, dishonestly is defined as the doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person wrongful loss to another?

बीएनएस, 2023 की कौन सी धारा के अंतर्गत, ‘बेईमानी’ से परिभाषित है, इस आशय से कोई कार्य करना जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे?

- (a) Sec. 2(7)/धारा 2(7)
- (b) Sec. 2(6)/धारा 2(6)
- (c) Sec. 2(8)/धारा 2(8)
- (d) Sec. 2(8)/धारा 2(8)

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(7) के अनुसार, बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य अभिप्रेत है, जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे।

43. Which section of BNS defined document?

बीएनएस की किस धारा में दस्तावेज परिभाषित है?

- (a) Section 2(5)/धारा 2(5)
- (b) Section 2(6)/धारा 2(6)
- (c) Section 2(7)/धारा 2(7)
- (d) Section 2(8)/धारा 2(8)

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(8) में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है।

44. 'A power of Attorney' is an example of _____ under section 2(8) of BNS, 2023

‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बीएनएस, 2023 की धारा 2(8) के तहत आने वाले का एक उदाहरण है।

- (a) Document/दस्तावेज
- (b) Contract/अनुबंध
- (c) Deed/विलेख
- (d) Title/स्वत्वाधिकार
- (e) Express authority/अभिव्यक्त प्राधिकार

Ans. (a) : पावर ऑफ अटॉर्नी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(8) में परिभाषित ‘दस्तावेज’ का एक उदाहरण है।

45. A cheque upon a banker under the BNS, 2023? भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत बैंककार पर दिया गया चेक है?

- (a) Document /अभिलेख
- (b) Counterfeit/कूटकरण
- (c) Valuable security /मूल्यवान प्रतिभूति
- (d) None of these/इनमें से कोई नहीं

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(8) के अनुसार, बैंककार पर दिया गया चेक दस्तावेज है।

46. The term "Fraudulently" is defined in which of the following section of BNS, 2023?

बीएनएस, 2023 की कौन से धारा में "कपटपूर्वक" को परिभाषित किया गया है?

- (a) Sec. 2(9)/धारा 2(9)
- (b) Sec. 2(10)/धारा 2(10)
- (c) Sec. 2(11)/धारा 2(11)
- (d) Sec. 2(12)/धारा 2(12)

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(9) में "कपटपूर्वक" को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार, कपटपूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य अभिप्रेत है।

47. In BNS, 2023 the pronoun 'he' and its derivatives are used for-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पुल्लिंग वाचक शब्द 'वह' और उनके व्युत्पन्न प्रयोग किये गये हैं-

- (a) Male/पुरुष हेतु
- (b) Female/महिला हेतु
- (c) Any person whether male, female or transgender
हर व्यक्ति हेतु चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंगी हो।
- (d) Such words are not used in the Code
ऐसे शब्दों का उपयोग इस संहिता में नहीं है

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 2(10) के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द 'वह' जहाँ भी प्रयोग किये गये हैं वह हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंगी हो।

48. The word 'good faith' is defined in the BNS, 2023 in:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 'सद्भाव' शब्द परिभाषित है-

- (a) Section 2(9)/धारा 2(9) में
- (b) Section 2(10)/ धारा 2(10) में
- (c) Section 2(11)/ धारा 2(11) में
- (d) Section 2(15)/धारा 2(15) में

Ans: (c) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(11) में 'सद्भावपूर्वक' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई बात 'सद्भावपूर्वक' की गयी या विश्वास की गयी नहीं कही जाती है, जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गयी है या विश्वास की गयी है।

49. In which section of BNS define 'Government'-
बीएनएस की किस धारा में 'सरकार' परिभाषित है-

- (a) Section 2(10)/धारा 2(10)
- (b) Section 2(11)/धारा 2(11)
- (c) Section 2(12)/धारा 2(12)
- (d) Section 2(21)/धारा 2(21)

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(12) में 'सरकार' को परिभाषित किया गया है।
धारा 2(12) के अनुसार, सरकार से केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य अभिप्रेत है।

50. Under which of the following Sections of the BNS, 2023 'harbour' has been defined?

'संश्रय' को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (a) Section 2(13)/धारा 2(13)
- (b) Section 2(14)/धारा 2(14)
- (c) Section 2(15)/धारा 2(15)
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(13) में "संश्रय" को परिभाषित किया गया है।

51. As per section 2(13) Harbour includes-
धारा 2(13) के अनुसार, संश्रय में सम्मिलित है-

- (a) Shelter/आश्रय
- (b) Food/भोजन
- (c) Arms/आयुध
- (d) All the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(13) के अनुसार, संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला-बारूद या वाहन के साधन देना या पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है।

52. "Injury" under section 2(14) includes-
धारा 2(14) के अन्तर्गत 'क्षति' में शामिल है-

- (a) harm illegally caused to body only /केवल शरीर को अवैध रूप से कारित हानि
- (b) harm illegally caused to mind only/केवल मन को अवैध रूप से कारित हानि
- (c) harm legally or illegally caused to body, mind, reputation or property of person /किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को वैध या अवैध रूप से कारित अपहानि
- (d) harm illegally caused to Body, mind, reputation or property of any person/किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित अपहानि

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 के धारा 2(14) के अनुसार 'क्षति' से कोई अपहानि अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई है।

53. 'Illegal' and 'legally bound to do' has been defined in the section _____ of BNS, 2023— 'अवैध' और 'करने के लिए वैध रूप से आबद्ध' को बीएनएस, 2023 के धारा _____ में परिभाषित किया गया है—

- (a) Sec. 2(15)/धारा 2(15)
- (b) Sec. 2(16)/धारा 2(16)
- (c) Sec. 2(17)/धारा 2(17)
- (d) Sec. 2(18)/धारा 2(18)

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(15) 'अवैध' में और 'करने के लिए वैध रूप से आबद्ध' को परिभाषित किया गया है।

54. The word 'illegal' is defined under which section of BNS, 2023?

शब्द "अवैध" भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कहाँ परिभाषित है?

- (a) Section 2(13)/धारा 2(13)
- (b) Section 2(14)/धारा 2(14)
- (c) Section 2(15)/धारा 2(15)
- (d) Section 2(16)/धारा 2(16)

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(15) में 'अवैध' (Illegal) शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत आते हैं—

1. जो अपराध है।
2. जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है।
3. जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है।

55. To which one of the following the word 'Illegal' used under Section 2(15) of BNS, 2023 is not applicable?

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(15) में प्रयुक्त 'अवैध' शब्द निम्नलिखित में से किस एक को लागू नहीं है?

- (a) Which is an offence/जो अपराध है
- (b) Which is prohibited by law जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है
- (c) Which furnishes a ground for civil action जो दीवानी कार्यवाही हेतु आधार प्रदान करता है
- (d) Which is immoral/जो अनैतिक है

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(15) में प्रयुक्त 'अवैध' (Illegal) शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है—

1. जो अपराध है,
2. जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है,
3. जो दीवानी कार्यवाही हेतु आधार प्रदान करता है।

56. In which section of BNS, 2023 'Judge' is defined—

बीएनएस, 2023 की किस धारा में 'न्यायाधीश' को परिभाषित किया गया है—

- (a) Section 2(15)/धारा 2(15)
- (b) Section 2(16)/धारा 2(16)
- (c) Section 2(21)/धारा 2(21)
- (d) Section 2(29)/धारा 2(29)

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(16) में 'न्यायाधीश' को परिभाषित किया गया है।

न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है।

57. Under Section 2(17) of the BNS, 2023, life denotes:

बीएनएस, 2023 की धारा 2(17) के अन्तर्गत जीवन से अभिप्रेत है :

- (a) Life of a human being /मानव जीवन से
- (b) Life of an animal /जीव-जन्तु के जीवन से
- (c) Life of human being and of an animal both मानव और जीव-जन्तु दोनों के जीवन से
- (d) Life of either human being or an animal या तो मानव या जीव जन्तु के जीवन से

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(17) के अनुसार 'जीवन' शब्द मानव के जीवन का द्योतक है।

58. "Local Law" mentioned in Section 2(18) of the BNS, 2023 means a law applicable to

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(18) में प्रयुक्त "स्थानीय विधि" कहाँ पर लागू होगी?

- (a) whole of India/सम्पूर्ण भारत पर
- (b) a particular part of India भारत के किसी विशिष्ट भाग पर
- (c) any part of India/भारत के किसी भी भाग पर
- (d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans : (b) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(18) में स्थानीय विधि की परिभाषा दी गयी है। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू हो।

59. **Man is defined in-/ 'पुरुष' परिभाषित है**

- (a) Section 2(35) / धारा 2(35) में
- (b) Section 2(17)/ धारा 2(17) में
- (c) Section 2(18)/धारा 2(18) में
- (d) Section 2(19)/धारा 2(19) में

Ans : (d) भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 2(19) में 'पुरुष' शब्द की परिभाषा दी गई है।

धारा 2(19) के अनुसार, 'पुरुष' से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है।

60. **As per section 2(20) of the BNS, 2023 month or year is to be reckoned according to?**

बीएनएस, 2023 की धारा 2(20) के तहत मास या वर्ष की गणना के अनुसार की जाएगी?

- (a) Geogorian Calender/ग्रिगोरियन कैलेंडर
- (b) Vikram Samvat/विक्रम संवत्
- (c) Saka Samvat/शक संवत्
- (d) Any one of the above/उपर्युक्त में से कोई भी एक

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(20) के अनुसार, मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी।

61. **As per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, wherever the word "month" or the word "year" is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the-**

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहां कहीं भी शब्द "माह" या शब्द "वर्ष" का प्रयोग हुआ है, वहां यह समझा जाएगा कि मास या वर्ष की गणना-

- (a) Gregorian Calendar/ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है।
- (b) Assyrian Calendar/असीरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है।
- (c) Indian National Calendar/भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार की जानी है।
- (d) Hebrew Calendar/हिब्रू कैलेंडर के अनुसार की जानी है।

RJS 2025

Ans. (a) : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

62. **Movable Property has been Defined under BNS, 2023?**

बीएनएस, 2023 के अन्तर्गत 'चल सम्पत्ति' को परिभाषित किया गया है?

- (a) Section 2(21)/धारा 2(21) में
- (b) Section 2(22)/धारा 2(22) में
- (c) Section 2(23)/धारा 2(23) में
- (d) Section 2(24)/धारा 2(24) में

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(21) में 'चल सम्पत्ति' की परिभाषा दी गयी है। धारा 2(21) के अनुसार, चल सम्पत्ति के अन्तर्गत हर भांति की मूर्त सम्पत्ति आती है किन्तु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अन्तर्गत नहीं आती।

63. **Section 2(21) of the BNS, 2023 prescribes भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 2(21) में उपबंध है-**

- (a) Wrongful gain /सदोष अभिलाभ का
- (b) Wrongful loss/सदोष हानि का
- (c) Dishonesty/बेईमानी का
- (d) Movable property/जंगम सम्पत्ति का

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(21) के अंतर्गत 'चल संपत्ति' के संबंध में उपबंध किया गया है। इस धारा के अनुसार, चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें, जो भूबद्ध हैं, या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है।

64. **What is not movable property under Section 2(21) BNS, 2023?**

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(21) के तहत 'चल सम्पत्ति' नहीं है?

- (a) Soil /मिट्टी
- (b) Cheque /चेक
- (c) Tree /वृक्ष
- (d) Fish in a tank /तालाब की मछलियाँ

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(21) में परिभाषित चल सम्पत्ति में वृक्ष (पेड़) नहीं आता है। वृक्ष भूमि से स्थायी रूप से जुड़ा होता है इसलिए चल सम्पत्ति नहीं है। वृक्ष को भूमि से अलग कर दिये जाने पर यह चल सम्पत्ति हो सकती है।

65. **In which section of BNS 'Number' is defined- बीएनएस की किस धारा में 'वचन' परिभाषित है-**

- (a) Section 2(22)/धारा 2(22)
- (b) Section 2(23)/धारा 2(23)
- (c) Section 2(24)/धारा 2(24)
- (d) Section 2(25)/धारा 2(25)

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(22) में 'वचन' शब्द को परिभाषित किया गया है।

66. Section 2(23) of the BNS 2023 defines-
बीएनएस की धारा 2(23) परिभाषित करती है-

- (a) Life/जीवन
- (b) Person/व्यक्ति
- (c) Omission/लोप
- (d) Oath/शपथ

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(23) में 'शपथ' परिभाषित है।

67. Under which one of the following Sections of the BNS, 2023 the word 'Offence' has been defined

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित में से किस धारा में 'अपराध' शब्द को परिभाषित किया गया है?

- (a) Section 2(23)/धारा 2(23)
- (b) Section 2(24)/धारा 2(24)
- (c) Section 2(25)/धारा 2(25)
- (d) Section 2(26)/धारा 2(26)

Ans. (b) : अपराध (Offence) शब्द को भारतीय न्याय संहिता 2023, की धारा 2(24) में परिभाषित किया गया है।

68. Section 2(25) of the BNS defines-
बीएनएस की धारा 2(25) परिभाषित करती है-

- (a) Act/कार्य
- (b) Omission/लोप
- (c) Act or omission/कार्य या लोप
- (d) Oath/शपथ

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(25) में लोप को परिभाषित किया गया है।

69. Homicide cannot be defined as killing of a person by a person in view of the nature of the definition of the word 'person' in

निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है?

- (a) Section 2(25)/धारा 2(25) में
- (b) Section 2(26)/धारा 2(26) में
- (c) Section 2(27)/धारा 2(27) में
- (d) Section 2(28)/धारा 2(28) में

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(26) में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा

सकता है क्योंकि धारा 2(26) के तहत व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय आता है, जिनकी हत्या नहीं की जा सकती है।

70. As per section 2(26) person includes-
धारा 2(26) के अनुसार, व्यक्ति में सम्मिलित है-

- (a) Any company/कोई कंपनी
- (b) Any association/कोई संगम
- (c) Body of person/व्यक्ति निकाय
- (d) All the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(26) के अनुसार, व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं आता है।

71. According to section 2(27) of the BNS 2023, Public includes-

बीएनएस की धारा 2(27) के अनुसार, 'लोक' में सम्मिलित है-

- (a) Any class of public/व्यक्ति का कोई भी वर्ग
- (b) Any community/कोई समुदाय
- (c) Both (a) and (b)/उपर्युक्त (a) और (b) दोनों
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(27) के अनुसार, लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है।

72. In which section of BNS, 2023 public servant is defined?

भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है?

- (a) Section 2(26)/धारा 2(26)
- (b) Section 2(27)/धारा 2(27)
- (c) Section 2(28)/धारा 2(28)
- (d) Section 2(29)/धारा 2(29)

Ans. (c) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है निम्नलिखित को लोक सेवक माना गया है-

- (1) भारत की सेना, नौ सेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त आफिसर,
- (2) प्रत्येक न्यायाधीश
- (3) न्यायालय का प्रत्येक आफिसर
- (4) किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या पंचायत का सदस्य
- (5) प्रत्येक मध्यस्थ
- (6) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो।

- (7) सरकार का प्रत्येक आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करें।
- (8) प्रत्येक आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करें, प्राप्त करें, रखें या व्यय करें या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण निर्धारण या संविदा करें।
- (9) प्रत्येक आफिसर जिसका ऐसे आफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी प्रयोजन के लिये किसी सम्पत्ति को ग्रहण करें।
- (10) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करता है।
- (11) प्रत्येक व्यक्ति जो सरकारी सेवा या वेतन में हो।

73. Which of the following is not included as a "public servant" under section 2(28) of the BNS, 2023.

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28) के अंतर्गत निम्न में से कौन "लोक सेवक" की परिभाषा में नहीं आता है-

- (a) Pilot of Indian Airlines
इण्डियन एयरलाइन्स का पायलट
- (b) Government school's teacher
सरकारी विद्यालय का शिक्षक
- (c) Justice of supreme court
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
- (d) Chairman of co-operative society
को-ऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख

Ans. (d) : को-ऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख (चेयरमैन) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) के अंतर्गत 'लोक सेवक' की परिभाषा में नहीं आता है। जबकि इंडियन एयरलाइन्स का पायलट, सरकारी विद्यालय का शिक्षक तथा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 'लोक सेवक' हैं।

74. Who, according to Section 2(28) of BNS, 2023, is not a public servant :-

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28) के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है :-

- (a) A commissioned officer in Indian Army, Navy, and air Force/भारतीय थल, जल एवं वायु सेवा में कमीशन प्राप्त अधिकारी,
- (b) An arbitrator to whom any case has been referred for adjudication by any court of justice/एक मध्यस्थ, जिसको किसी न्यायालय द्वारा कोई विवाद विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किया गया हो,
- (c) An officer, who by virtue of his office, is empowered to place or keep any person in confinement/जो व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण

करता हो, जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो,

- (d) An advocate, who practices law in a court of justice/एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता हो,

Ans. (d) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) में 'लोक सेवक' को परिभाषित किया गया है। जिसमें अधिवक्ता को लोक सेवक नहीं माना गया है। अतः एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि व्यवसाय करता है वह लोक सेवक नहीं है।

75. Which of the following sections of BNS defines term 'reason to believe'?

निम्नलिखित में से बीएनएस की कौन सी धारा शब्द 'विश्वास करने का कारण' को परिभाषित करती है?

- (a) Sec. 2(29)/धारा 2(29)
- (b) Sec. 2(28)/धारा 2(28)
- (c) Sec. 2(31)/धारा 2(31)
- (d) Sec. 2(33)/धारा 2(33)

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(29) में 'विश्वास करने का कारण' परिभाषित किया गया है।

76. Section 2(30) of the BNS, 2023 prescribes definition of

भारतीय न्याय संहिता, 2023, की धारा 2(30) किसकी परिभाषा को उपबंधित करती है?

- (a) Special Law /विशेष विधि का
- (b) Local Law /स्थानीय विधि की
- (c) Injury /क्षति की
- (d) Harbour/संश्रय की

Ans. (a) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(30) 'विशेष विधि' को परिभाषित करती है। 'विशेष विधि' वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो।

77. In which provision of BNS, 2023 the definition of 'valuable security' is explained?

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के किस प्रावधान के अंतर्गत 'मूल्यवान प्रतिभूति' की व्याख्या की गई है?

- (a) Section 2(30)/धारा 2(30)
- (b) Section 2(31)/धारा 2(31)
- (c) Section 2(32)/धारा 2(32)
- (d) Section 2(33)/धारा 2(33)

Ans. (b) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(31) में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है।

78. According to BNS, 2023 such documents by which any person accept that he is under any legal obligation, is called as

INDEX

भाग 1—PART I

- अध्याय -1
प्रारंभिक/PRELIMINARY3-14

भाग II—PART II

- अध्याय -2
तथ्यों की सुसंगति/Relevancy of Facts 15-50

भाग III—PART III

सबूत के विषय/On Proof

- अध्याय -3
तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है/Facts Which need not be Proved51-53
- अध्याय -4
मौखिक साक्ष्य के विषय में/Of Oral Evidence54-55
- अध्याय -5
दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में/Of Documentary Evidence55-71
- अध्याय -6
दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में/Of The Exclusion of Oral Evidence By
Documentary Evidence.....72-76

भाग 4—PART IV

साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव Production & Effect of Evidence

- अध्याय -7
सबूत के भार के विषय में/Of the Burden of Proof 77-88
- अध्याय -8
विबंध/Estoppel89-91
- अध्याय -9
साक्षियों के विषय में/Of Witness91-101
- अध्याय -10
साक्षियों की परीक्षा के विषय में/Of Examination of Witnesses 102-117
- अध्याय -11
साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में/Of Improper Admission & Rejection of Evidence.....118-118
- अध्याय -12
निरसन और व्यावृत्ति/Repeal & Savings 118-118
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की तुलनात्मक सारणी 119-128



The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

क्रमांक 47 सन् 2023—No. 47 of 2023



भाग 1—PART I

अध्याय

1.

प्रारंभिक/

PRELIMINARY

धारा - 1

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ/Short title, application and commencement.

1. The law of evidence under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is—
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत साक्ष्य विधि है—

- (a) Substantive Law/मौलिक विधि
- (b) Procedural Law/प्रक्रिया विधि
- (c) Substantive and Procedural Law
मौलिक एवं प्रक्रिया विधि
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : साक्ष्य विधि एक प्रक्रियात्मक विधि है। अधिकारों के उपचार हेतु अपनायी जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण करने वाली विधि को 'प्रक्रियात्मक विधि' कहा जाता है। कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के अंश भी हैं, जैसे- विबन्ध का सिद्धान्त।

2. The Law of Evidence consists of which one of the following?

साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं?

- (a) Ordinary rules of prudence
विवेक के साधारण नियम
- (b) Legal rules of evidence
साक्ष्य के विधिक नियम
- (c) Rules of logic/तर्क के नियम
- (d) All the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (b) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 साक्ष्य के विधिक नियम का उल्लेख करती है। अधिनियम की धारा 1-170 तक में साक्ष्य के विधिक नियमों का उल्लेख किया गया है। साक्ष्य विधि मूल रूप से प्रक्रियात्मक विधि है। लेकिन कुछ विषयों पर इसमें सारवान विधि के अंश भी हैं, जैसे-विबन्ध का सिद्धान्त।

3. Law of evidence is/साक्ष्य का कानून

- (a) a substantive law/मौलिक कानून है
- (b) an adjective law/विशेषता दर्शाने वाला कानून है
- (c) Both (A) and (B)/(A) और (B) दोनों
- (d) Neither (A) nor (B)/न तो (A) और न ही (B)

Ans. (b) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रक्रिया विधि है इसके अंतर्गत प्रक्रियात्मक विधि के नियम शामिल हैं। साक्ष्य विधि को विशेषण विधि अथवा विशेषता दर्शाने वाली विधि भी कहा जाता है।

4. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 applies to—

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होता है—

- (a) Only civil proceedings
केवल सिविल कार्यवाहियों में
- (b) Only criminal proceedings
केवल आपराधिक कार्यवाहियों में
- (c) Civil and criminal Proceeding both
सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों में
- (d) None of the above /उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं

Ans. (c) : भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों पर लागू होता है। यह अधिनियम सभी प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(k) में न्यायिक कार्यवाही को परिभाषित किया गया है